

प्रेषक,

भैरव लाल,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट,
कोर्ट सं०-5, मुरादाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

सेवा में,

श्री आर० के० चड्ढा,
संयुक्त निबंधक (एडमिन-1)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:- पत्रांक-16518/iv-2617/एडमिन(a) dated इलाहाबाद नवंबर 15, 2019 के द्वारा GPF तथा
पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में मांगा गया विवरण पत्र।

महोदय,


कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-6518/iv-2617/एडमिन(a) dated इलाहाबाद 15.11.2019
का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मेरी सेवानिवृत्ति आगामी दिनांक 31.01.2020 को नियत है। इस पत्र के
साथ संलग्नक के रूप में सन्दर्भित पत्र के निर्देशानुसार मैं अपना पेंशन प्रकरण तीन सेट में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
पेंशन प्रकरण के संलग्नक-1 के रूप में भवन निर्माण, मोटर वाहन/स्कूटर अग्रिम से संबंधित प्रमाण पत्र की
प्रमाणित छायाप्रति तथा संलग्नक-2 के रूप में जनपद फर्रुखाबाद व प्रतापगढ़ से प्राप्त 5 वर्षों के अदेयता प्रमाण
पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रेषित हैं। मुरादाबाद जनपद का अदेयता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रस्तुत
कर दूंगा।

अतः निवेदन है कि मेरा यह पेंशन प्रकरण माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने की कृपा करें।


सादर!

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(भैरव लाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट,
कोर्ट सं०-5, मुरादाबाद।

पत्रांक: 2431 / 19 (प्रशा०)मुरादाबाद दि०: 26.11.19


जिला न्यायाधीश
मुरादाबाद।
26-11-19

Two Photo.

BHAIARA V LAL

A.D.I.

MORADA BAD

मेरा विवरण निम्नवत् है। पुस्तक

2019/11/27 11:21

बैंगलूर

भाग-1

पेंशन/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें:-

- 1- नाम :- भैरव लाल
- 2- पिता का नाम :- स्व0 श्री रामदीन
- 3- सेवानिवृत्ति के बाद का पता :-
(क)- स्थाई निवास :- 43/9 विष्णुपुरी कालोनी, नवाबगंज, कानपुर-(उ0प्र0)
(ख)- पत्र व्यवहार का पता :- फ्लैट नं0-406, सी ब्लाक, शिवालिक गंगा अपार्टमेन्ट फेस-IV
कय्यामपुर मोड़ एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ0प्र0)।
- 4- जन्म तिथि :- 15.01.1960
- 5- सेवा प्रारम्भ की तिथि :- 10.09.1993
- 6- सेवा निवृत्ति की तिथि :- 31.01.2020
- 7- अन्तिम पद जहां से सेवानिवृत्त हुए का पदनाम तथा कार्यालय/ विभाग का नाम व पता :- अपर जिला जज,
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।
- 8- मृत्यु होने की दशा में नॉमिनी का नाम एवं पता जिसे जीवनकालीन अवशेष भुगतान किया जाये। :- श्रीमती सीमा (पत्नी)
फ्लैट नं0-406, सी ब्लाक, शिवालिक गंगा अपार्टमेन्ट फेस-IV
कय्यामपुर मोड़ एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ0प्र0)।
- 9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित है। :- नियमानुसार
- 10- भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं। :- अलीगढ़।

11- परिवार का विवरण

क्रम सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	विवाहित / अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1-	श्रीमती सीमा	04.10.64	पत्नी	विवाहित	फ्लैट नं०-406, सी ब्लॉक, शिवालिक गंगा अपार्टमेंट फेस-IV, कय्यामपुर मोड एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ०प्र०)।
2-	अनामिका सागर	15.07.92	पुत्री	अविवाहित	फ्लैट नं०-406, सी ब्लॉक, शिवालिक गंगा अपार्टमेंट फेस-IV, कय्यामपुर मोड एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ०प्र०)।
3-	श्री अंकुर सागर	10.07.86	पुत्र	विवाहित	फ्लैट नं०-406, सी ब्लॉक, शिवालिक गंगा अपार्टमेंट फेस-IV, कय्यामपुर मोड एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ०प्र०)।

भवदीय

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

23/11/19
Addl. Distt. & Sess Judge
Court No.-5, Moradabad

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे नियमानुसार पेंशन, सेवा आनुतोषिक, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाये। मैं भलीभांति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियां नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी, तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियां वापस करनी होंगी। मैं वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूंगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

23/11/19
Addl. Distt. & Sess Judge
Court No.-5, Moradabad

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये

(यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहां से सेवानिवृत्त हुए)

1. नाम Amit Malani हस्ताक्षर

पदनाम Addl family Judge

पता Moradabad

Amit Malani
Addl. Principal Judge
Family Court
Moradabad.

2. नाम Ravindra Kr. Sinha हस्ताक्षर

पदनाम Addl Judge District Judge

पता Moradabad

Ravindra
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-12, मुरादाबाद

निला न्यायाधीश

मुरादाबाद
26.11.19

प्रार्थी का विवरण

- 1- सरकारी सेवक का नाम :— श्री मैरव लाल
पद नाम तथा कार्यालय का नाम :— अपर जनपद न्यायाधीश, / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर
एक्ट, कोर्ट सं0-5 जनपद न्यायालय मुरादाबाद।
- 2- सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा :— श्रीमती सीमा
में पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी हेतु पत्नी
प्रार्थी का नाम तथा सरकारी सेवक
से सम्बन्ध
- 3- नमूने के हस्ताक्षर
(क)-सरकारी सेवक के
(उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे)
(ख)-सरकारी सेवक की पत्नी या अन्य प्रार्थी के
हस्ताक्षर (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने
दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे)
- 4- वैयक्तिक पहचान
(क)- सरकारी सेवक की ऊंचाई :— पाँच फिट तीन इंच
(ख)- सरकारी सेवक की पहचान चिन्ह :— गले पर तिल का निशान
- 5- सरकारी सेवक की पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार में
संयुक्त फोटो की तीन प्रतियां दी जायेंगी, जिनमें से दो
फॉर्म्स पर चिपकायी जायेंगी तथा एक प्रति एक छोटे
लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से लगा दी
जायेगी। पेंशन प्रदेश के बाहर से लेने पर पांच प्रतियां
प्रस्तुत की जायेंगी, जिनमें से चार फार्म्स पर तथा पांचवी
एक छोटे लिफाफे में पेंशन प्रपत्र के साथ अलग से
दी जायेगी।

1. Sum
2. Sum
3. Sum
1. Seema
2. Seema
3. Seema

फोटो



विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
तथा पदनाम

Sum
जिला न्यायाधीश सत्यापित
मुरादाबाद
26-11-19

भाग-4

सेवा का इतिहास

:- श्री भैरवलाल


सरकारी सेवक का नाम

क्र० सं०	कब से कब तक	पद का नाम जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश, साधारण अवकाश, निलम्बन प्रीन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति व्यवधान की अवधियां भी अंकित की जायें।	स्तम्भ-3 में दर्शाई गई अवधि का प्रकार	यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है तो कारण सहित इसका विवरण दिया जाये।
1	2	3	4	5
1	10.09.93 से 15.02.94	मुंसिफ, झांसी	पेंशनयुक्त	
2	16.02.94 से 01.02.96	अपर मुंसिफ, कन्नौज-फर्रुखाबाद	"	
3	03.06.96 से 05.06.99	अपर सिविल जज (जू०डि०) इलाहाबाद।	"	
4	07.06.99 से 19.07.99	सिविल जज (जू०डि०) बहेडी, बेरली	"	
5	19.07.99 से 05.06.2000	अपर सिविल जज (जू०डि०) बेरली	"	
6	05.06.2000 से 04.10.2000	जे०एम० बेरली	"	
7	04.10.2000 से 20.12.2001	सिविल जज (जू०डि०) बेरली	"	
8	20.12.2001 से 05.06.2002	अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए० सी०जे०एम बेरली	"	
9	12.06.2002 से 22.07.2003	सिविल जज (सी०डि०),श्रावस्ती	"	
10	22.07.2003 से 19.02.2004	सी०जे०एम श्रावस्ती	"	
11	20.02.2004 से 05.06.2004	ए०सी०जे०एम० बहराईच	"	
12	07.06.2004 से 06.06.2005	सी०जे०एम श्रावस्ती	"	
13	09.06.2005 से 02.01.2006	अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए० सी०जे०एम अलीगढ़	"	
14	02.01.2006 से 06.06.2006	सिविल जज (सी०डि०) अलीगढ़	"	
15	06.06.2006 से 07.04.2007	लघुवाद न्यायाधीश अलीगढ़	"	
16	07.04.2007 से 15.12.2008	अपर जिला जज, अलीगढ़	"	
17	17.12.2008 से 06.06.2009	अपर जिला जज, हमीरपुर	"	
18	09.06.2009 से 01.04.2011	अपर जिला जज, बुलन्दशहर	"	
19	01.04.2011 से 16.04.2012	अपर जिला जज, बुलन्दशहर	"	
20	18.04.2012 से 20.08.2013	अपर जिला जज, फर्रुखाबाद	"	
21	20.08.2013 से 15.04.2014	अपर जिला जज, फर्रुखाबाद	"	
22	15.04.2014 से 15.04.2015	स्पेशल जज (उ०प्र० दरसु प्रभावित	"	

जिला न्यायाधीश

फर्रुखाबाद 26.11.19

23	17.04.2015 से 08.05.2017	क्षेत्र अधिनियम) फर्रुखाबाद अपर जिला जज, एफ0टी0सी प्रतापगढ़	"	
24	10.05.2017 से 02.08.2018	अपर जिला जज, मुरादाबाद।	"	
25	02.08.2018 से 10.12.2018	षष्ठम अपर जिला जज, मुरादाबाद	"	
26	10.12.2018 से 15.04.2019	पंचम अपर जिला जज, मुरादाबाद।	"	
27	15.04.2019 से 31.01.2020	अपर जिला जज, मुरादाबाद	"	


जिला न्यायाधीश
 मुरादाबाद
 26-11-19

प्रपत्र-2

अन्तिम देय प्रमाण पत्र

प्रेषक,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:-

विषय:- पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण।

महोदय,

श्री भैरवलाल, अपर जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पत्र सं०-दिनांक द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे। उपरोक्त अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त होने पर दिनांक 31.01.2020 को कार्यभार छोड़ दिया गया है।

2. उपरोक्त अधिकारी के अन्तिम दस माह के वास्तविक परिलब्धियों के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्तिम दस माह की औसत परिलब्धियों का आगणन:-

माह का नाम	परिलब्धियां
अप्रैल, 2019	मु० 65,830/-
मई, 2019	मु० 65,830/-
जून, 2019	मु० 65,830/-
जुलाई, 2019	मु० 65,830/-
अगस्त, 2019	मु० 65,830/-
सितम्बर, 2019	मु० 65,830/-
अक्टूबर, 2019	मु० 65,830/-
नवम्बर, 2019	मु० 65,830/-
दिसम्बर, 2019	मु० 67210/-
जनवरी, 2019	मु० 67210/-

योग -मु० 661060/-

औसत परिलब्धियां मु० 66,1060/-

3. इस कार्यालय के उपर्युक्त पत्र दिनांक निम्नलिखित धनराशि शेष दिखायी गयी थी:	को उपरोक्त अधिकारी के
1. भवन निर्माण अधिम	Nil
2. मोटरकार/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अधिम	Nil
3. किसी अन्य प्रकार का अधिम	Nil
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	Nil
5. ऑडिट के परिणामस्वरूप देश धनराशि	Nil
6. विभागीय अधवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	Nil
7. अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अन्तर्गत देय धनराशि	Nil
4. उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तथा उपर्युक्त सभी धनराशियों का भुगतान कर दिया गया है/ निम्न धनराशियां शेष हैं :	Nil
1. भवन निर्माण अधिम	Nil
2. मोटरकार/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अधिम	Nil
3. किसी अन्य प्रकार का अधिम	Nil
4. सरकारी आवास से सम्बन्धित धनराशि	Nil
5. ऑडिट के परिणामस्वरूप देश धनराशि	Nil
6. विभागीय अधवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप धनराशि	Nil
7. अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाये) के अन्तर्गत देय धनराशि	Nil
8. उपरोक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांक को लम्बित न्यायिक/विभागीय जांच की स्थिति निम्नवत है:-	योग Nil

5. उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश सं० दिनांक जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है, द्वारा रु० की अन्तिम पेंशन तथा सं० दिनांक द्वारा रु० की धनराशि अन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकृत की जा रही है/ चुकी है।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर 4 में सेवानिवृत्ति/मृत्यु के दिनांक का देय कुल रु० की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करके अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें।


जिला न्यायाधीश


भरादाबाद
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

दिनांक २६-११-१९

संख्या

1. मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक पेंशन, के स्तर से सूचित न की गयी है) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें। यदि उपर्युक्त अधिकारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो अपने स्तर पर उसके सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें।

2. श्री भैरव लाल, फ्लैट नं०-406, सी ब्लॉक, शिवालिक गंगा अपार्टमेंट फेस-IV, कय्यामपुर मोड़ एटा बाईपास, क्वार्सी, अलीगढ़ (उ०प्र०)।


जिला न्यायाधीश

भरादाबाद
(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग-5

कार्यालयोध्यक्ष के उपयोग हेतु

1. सरकारी सेवक का नाम	- श्री मीरवलाल
2. सरकारी सेवक की जन्मतिथि	- 15.01.1960
3. सेवा में आने की तिथि	- 10.09.1993
4. सेवानिवृत्ति की तिथि	- 31.01.2020
5. कुल अवधि (4-3)	वर्ष मास दिन - 26 04 21
6. सेवा जो पेंशन के लिये अनर्ह है, की अवधि	- Not Applicable
7. अन्य सेवा (यदि कोई हो) जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया, ऑडिटर, महालेखाकार, उ०प्र०	- Not Applicable
8. पेंशन अनर्ह सेवा- (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा (ख) सेवा में विच्छेद (ग) पेंशन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि (घ) कोई अन्य सेवा जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण सहित उल्लेख किया जाये)	- Not Applicable - Not Applicable - Not Applicable - Not Applicable
9. पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि	- 26 वर्ष, 04 मास, 21 दिन या 53 छमाहीयां
10. पेंशन का प्रकार	- अधिवर्षता
11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम 9(21)(1)	- 67,210/-
12. औसत परिलब्धियों का आगणन अन्तिम दस माह में प्राप्त परिलब्धियां	-

धारित पद	कब से	कब तक	परिलब्धियां मूल नियम	अन्य
			9(21)(1) में परिभाषित	

अपर जनपद न्यायाधीश अप्रैल 19, 2019 से नवम्बर 2019 65830/- = X 8 = 526640/-
मुरादाबाद।

दिसम्बर 19 से जनवरी 2020 67210/- = X 2 = 134420/-


योग 661060/- ÷ 10 = 66106/-

अन्तिम वेतन प्रत्याहरण = ₹ 67,210/- ।

13. पेंशन का आगणन - अन्तिम वेतन प्रत्याहरण / 2

मु० 67,210/- ÷ 2 = 33,605/-

14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन
(पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) - Not Applicable
15. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का आगणन
मूल वेतन+महंगाई भत्ता- $164 \times 53 / 4$
 $67210 / - + 1,10,224 / - = 1,77,434 \times 53 / 4 = 23,51,005 = 00 - 20,00,000 = 00$ अधिकतम
16. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि से कटीती
17. शुद्ध सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की धनराशि - 20,00,000 = 00
18. पारिवारिक पेंशन का आगणन
(क) सामान्य दर 15.01.2025 तक - 33605 / -
(ख) 16.01.2025 से - 20163 / -
19. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि - 01.02.2020
20. पेंशन का भाग व धनराशि जिसका राशिकरण अनुमन्य है - 16803 / -
21. राशिकृत मूल्य का आगणन- $16803 \times 8.194 \times 12$ - 16,52,205.38, या 1652205 / -
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि - 16802 / -
23. कौषागार का नाम जहां से पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी /
राशिकरण के भुगतान आहरित किये जायेंगे - अलीगढ़
24. अनन्तिम पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की गयी हो) -
25. अनन्तिम से0नि0 ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गयी हो) -
26. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक
(यदि तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक 8 माह पूर्व की होनी चाहिये)तक-
1. भवन निर्माण अग्रिम में से कोई धनराशि शेष नहीं है।
 2. मोटरकार/मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम में से कोई धनराशि शेष नहीं है।
 3. किसी अन्य प्रकार का अग्रिम में से कोई धनराशि शेष नहीं है।
 4. सरकारी भवन में आवास करने हेतु कोई धनराशि अवशेष नहीं है।
 5. ऑडिट के परिणामस्वरूप कोई धनराशि शेष नहीं है।
 6. विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई धनराशि शेष नहीं है।
 7. अन्य मदों में कोई धनराशि शेष नहीं है।
 8. श्री विजय कुमार अग्रवाल के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैभागीक अथवा प्रशासनाधिकरण जांच लम्बित नहीं है।


जिला न्यायाधीश

विभागाध्यक्ष/न्यायाधीश के हस्ताक्षर

26-11-19

Annexure-I

This deed of indemnity is made on the days of 23 November 2019 corresponding by Bhairav Lal S/o Late sri Ram Deen R/o 439 Vishnupuri Colony Nawab Ganj Kanpur IN FAVOUR OF THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH:-
Where:-

- 1- The Bounden above named is in the Service of the Government of Uttar Pradesh (called the ' Government ') as Addl. District Judge in Moradabad Judgeship.
- 2- The Bounden above named is due for retirement on 31-01-2020
- 3- A No Demand certificate is required to be issued in favour of the bounden by AGUP Allahabad before sanction of pension, gratuity etc. to the Bounden but said certificate could not be issued so far and the scrutiny of responds for that purpose is likely to take further time
- 4- The government is willing to sanction Pension and Gratuity etc. to the Bounden on condition that the Bounden shall execute a bond being these presents, to indemnify and save harmless the Government from any loss which the Government may incur by reason of any money found due against the Bounden within a period of two years from the date of retirement of the Bounden. Now this deed witness-
 - (1) In consideration of Government a greeting to sanction of pension, gratuity, etc. to the Bounden before issue of 'No Demand certificate' in his favour, the Bounden hereby covenants with the Governor that the Bounden shall pay on demand to the Government all moneys which may be discovered, within a period of two years from the date of retirement of the Bounden to be due against him.
 - (2) Any amount due under this deed may, on the certificate of AGUP Allahabad which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, be recovered from him as arrears of land revenue

In witness to the above written bond and the conditions there of the Bounden has signed under on the day and year first above written.

The Stamp duty on this instrument will be bear by the Government.

Witness-

1. Anil Kumar
Addl. family Judge
Moradabad
Addl. Principal Judge
Family Court
Moradabad.

2. Ravindra K. Sinodara
Addl. District Judge
Moradabad
अपर न्यायाधीश
कोर्ट सं-12, मुरादाबाद


Signed by

Bhairav Lal
23/11/19
(Bhairav Lal)
Addl. District judge Court No. 5
Moradabad.
Bounden

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने सम्पूर्ण सेवा काल में मात्र एक बार रू0 250000/- भवन निर्माण अग्रिम, जो शासन के माध्यम से दिनांक 20.01.1999 को स्वीकृत हुआ था, प्राप्त किया है। जिसका भुगतान ब्याज सहित मेरे द्वारा किया जा चुका है। संलग्नक के रूप में महालेखाकार द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र दिनांकित 19.03.2018 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त मैंने माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्गत कोई भी अग्रिम ग्रहण नहीं किया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


(भैरव लाल)

अपर जनपद न्यायाधीश

कोर्ट सं0-5, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।

अदेयता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभारी अधिकारी प्रशासन/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1, फर्रुखाबाद की संस्तुति आख्या दिनांकित 31.10.2019 एवं प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सदर मुंसरिम, केन्द्रीय वाजिर, पुस्तकालय लिपिक, लेखा लिपिक, रोकड़िया, कम्प्यूटर लिपिक की आख्याओं के अनुसार श्री भैरव लाल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-06, मुरादाबाद, तत्कालीन अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद पर इस अधिष्ठान से सम्बन्धित कोई सरकारी देय शेष नहीं है।

तदनुसार अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

(सुभाष चन्द)

जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

Photo Copy
Attached.
Rd


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-12, मुरादाबाद

201/18
M.D. dt. 24-3-18

No Dues Certificate


It is certified that according to the report of Central Nazir, Bill Clerk & Librarian, no government dues towards Civil Court is out-standing against Sri Bhairav Lal, the then Addil. District Judge/F.T.C, Pratapgarh, during his tenure from 17.04.2015 to 08.05.2017.

Dated: 14.03.2018


D.D.O.
District Court
Pratapgarh.
17-03-2018

Letter No - 542

dt - 19.3.18

Photo Copy
Attached.


21/03/18
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट, सी-12, मुरादाबाद
Date: 21/03/18



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद

संख्या: जी०ई०-१/गुप-१/अदेयता प्रमाण पत्र-४१२/एल०आई०डी०-४०२९९/
सेवा में,

दिनांक:

- १- सचिव नियुक्ति अनुभाग-६ एनैक्सी भवन
उ०प्र० शासन लखनऊ
- २- सचिव गृह पुलिस सेवायें अनुभाग-२ एनैक्सी भवन
उ०प्र० शासन लखनऊ
- ३- सचिव वित्त सेवायें अनुभाग-२
उ०प्र० शासन लखनऊ
- ४- निबन्धक उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

विषय: श्री भैरव लाल, एच०जे०एस० को स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम ₹० २,५०,०००/- की अदायगी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि शासनादेश संख्या ९६१ / IV-२६१७ / Admin (A) दिनांक- २०.०१.१९९९ के अन्तर्गत स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम ₹० २,५०,०००/- के मूलधन की अदायगी मय ब्याज के इस कार्यालय के अभिलेखानुसार पूर्ण हो चुकी है उक्त अग्रिम के विरुद्ध कुछ शेष नहीं है ।

भवदीय

लेखाधिकारी

संख्या: जी०ई०-१/गुप-१/अदेयता प्रमाण पत्र-४१२/एल०आई०डी०-४०२९९/ ५५१

दिनांक: १९/०३/१८

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

- १- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- २- श्री भैरव लाल, अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -०९, मुरादाबाद ।

Photo Copy
Attached
Rd

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०-१२, मुरादाबाद

लेखाधिकारी

FROM,

Sri K.C. Srivastava,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

REGISTERED

TO,

The District Judge,
Shravasti.

No. /IV-2617/ Admin. (A)/ Dated:

Subject: Sanction of house building advance to Sri Bhairav
Lal, Chief Judicial Magistrate, Shravasti.

Sir,

In continuation of the Court's letter No. 961/IV-2617/
Admin. (A), dated 20-1-1999, on the above subject, I am directed
to say that the Court has authorised Sri Bhairav Lal, Chief
Judicial Magistrate, Shravasti for withdrawal of Rs. 1,25,000/-
(Rs. One Lac Twenty Five Thousand only) as second instalment
of house building advance from the amount allotted to the
Court vide G.O. No. B-3-1943(2)/X-2004-100(5)/2004-Shawan,
dated 28.5.2004. The Officer may be directed to furnish the
voucher number, Date of drawal of amount and name of Treasury
to the Accountant General, U.P., Allahabad, under intimation
to the Court.

Yours faithfully,

DEPUTY REGISTRAR

No. 14600 /IV-2617/ Admin. (A)/ Dated: 24-9-04.

Copy forwarded in continuation of court's enforcement
No. 962/IV-2617/ Admin. (A), dated 20-1-99 for information and
necessary action to :-

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyaya) Anubhag-5,
Uttar Pradesh Bhawan, Lucknow.
2. The Accounts Officer, G.S. (Loans) Section, Accountant
General, (A & K)- II, U.P., Allahabad.
3. The Treasury Officer, Shravasti.
4. Sri Bhairav Lal, Chief Judicial Magistrate, Shravasti.

By Order,

DEPUTY REGISTRAR

Photo Copy
Attended
Lh

दिए गए प्रमाण एवं तारीख
कोर्ट सं-12, मुरादाबाद

23/9/04

From,

Registered

Sri R.C. Upadhyaya,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Allahabad.

No. /IV-2617/Admin(A) Dated: Alld: Jan. , 1999.

Subject:- Sanction of house building advance to Sri Bhairav
Lal, Civil Judge, (Jr. Div.), Allahabad.

Sir,

I am directed to send herewith an attested copy
of Court's order dated 8.1.99 sanctioning Rs. 2,50,000/- as
house building advance to Sri Bhairav Lal, Civil Judge,
(Junior Division), Allahabad ~~in~~ payable in two instalments
of ~~Rs.~~ Rs. 1,25,000/- each for purchase of plot and
construction of house. The Officer may kindly be asked to
furnish the voucher number, date of drawal of the amount
and name of the Treasury to the A.G.U.P., Allahabad, under
intimation to this Court. He should also to send requisite
papers as asked for in the Court's order referred to above,
to the Court at an early date.

Enclosure:- As above.

Yours faithfully,

DEPUTY REGISTRAR.

No. 62/IV-2617/Admin(A) Dated: Alld: Jan 20 , 1999.

Copy, along with an attested copy of the Court's order
dated 8.1.99, forwarded for information and necessary action
to :-

1. The Deputy Secretary, Vitta (Aya-Vyayak) Anubhag-3, Uttar
Pradesh Shashan, Lucknow.
2. The Accounts officer, G.E. (Loans) Section, A.G. (A&E)-II,
G.P., Allahabad.
3. The Treasury Officer, Allahabad. (By Regd. Post)
4. Sri Bhairav Lal, Civil Judge, (J. D.), Allahabad.

Enclosure:- As above.

By order,

DEPUTY REGISTRAR.

S.Lal/-

Photo copy
Attested
S.L.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं-12

आदेश

वित्तोप हस्त पुस्तिका उप-5 भाग-1 के पैराग्राफ 244 ए. में वर्णित आदेशों
 मंख्या 3-2453 (2) / 47-98-100 (2) / 48 के द्वारा श्री डॉ. रत्न कान्त, निदेशक (संवर्धन), राजस्थान सरकार
अध्यायक सं. 52, आयुजी सं. 1883, ग्राम-देहली को कृप करने तथा उन पर अपने कर्म के लिए भवन निर्माण हेतु
 2,50,000/- को लागू प्रमाणित किया जाय। या अधिक धन निम्नलिखित शर्तों
 में स्वीकृत किया जाता है।

1. भूमि प्राप्त करने के पूर्व वित्तोप हस्त पुस्तिका उप-5 भाग-1 के पैरा 244 अनुसार
 फार्म 20/2ए में एक अनुबंध-पत्र भर कर न्यायालय को भेजा जाय।

2. पंचने किश्त को राजस्थान सरकार से एक माह के
 अन्दर निश्चित रूप से आधीरत कर ले जाय। दूसरी किश्त उरीही गई भूमि को आपन
 को बंधक रखे जाने तथा पंचने किश्त के उपयोग के पश्चात एवं भवन निर्माण में हुई
 प्रगति को देख कर दो स्वीकृत ले जायेंगे।

3. आपको उस बात के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि आपके द्वारा उरीही
 हुई भूमि/कृषि क्षेत्र हुए भवन पर आपका निर्विवाद एवं पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है। यदि
 भूमि/भवन का स्वामित्व किसी प्रकार दोषपूर्ण पाया जायेगा तो न्यायालय अपने विवेक
 अनुसार भूमि धनराशि को ह्यात मीत एक पुस्त में वसूल करने का आदेश दे सकता है।

4. पंचने किश्त का स्वामि प्राप्त करने के पहले आपके द्वारा उरीही गई भूमि/भवन
 आपन को बंधक रखकर वित्तोप हस्त पुस्तिका उप-5 भाग-1 में निर्मित फार्म नं. 20
 अध्या 23 में बंधक-पत्र भर कर न्यायालय को भेजा जाये तत्पश्चात बंधक पत्र भरने
 की तिथि के पार पाह के भीतर बंधक-पत्र को रद्द करवा कर उसकी रीति-रिवाज

प्रतिनिधि न्यायालय के नाम रिकार्ड के लिए भेजा जाय।
 5. यदि भूमि को धनराशि में कोई खत हो तो तुरन्त आपन को नोटा दी जाय
 6. पंचने किश्त के प्राप्त किए जाने के तीन माह के अन्दर आपके द्वारा भूमि के पूरा
 एवं सही रूप में व्यवस्था करने के प्राधान्य में आवश्यक प्रमाण भेजा जाय भूमि पर आपके
 स्वामित्व का प्रमाण-पत्र एवं पूर्ण विवरण एवं किन् निर्माण में लगे गये व्ययों के कैश

लेखों दाखिल किया जाय।
 7. भूमि को धनराशि आपके वेतन से 449 किश्तों में 80-1230/-
 को दर में वसूल ले जायेंगे निम्न किश्त 2610/- को होंगे।

8. भूमि को वसूलने भूमि का मूल्य किश्त प्राप्त करने के चौथे माह में प्राप्त होंगे।
 9. भूमि पर आपन को दरें भिन्ना रूप से निम्नलिखित होंगे:-
 प्रत्येक 50,000/- रुपये के लिए " " प्रतिशत प्रतिवर्ष
 उरीहने 50,000/- रुपये प्रति 50,000/- रुपये में 12.5

प्रतिशत प्रतिवर्ष।

Photo Copy
 Attached
[Signature]
 अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश
 कोर्ट सं-12, मुरादाबाद

प्रतिशत प्रतिवर्ष	50,000/-	स्वये धानो	1,00,000/-	स्वये के लिए	15.5
घर भागने	50,000/-	स्वये धानो	1,50,000/-	स्वये तक	10.5
घर भागने	25,000/-	स्वये धानो	2,00,000/-	स्वये तक	15
प्रतिशत प्रतिवर्ष	25,000/-	स्वये धानो	2,25,000/-	स्वये तक	15.5

प्रतिशत प्रतिवर्ष किन्तु निम्नतम समय पर भूखण्ड/स्वयं के प्रातदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में पाड़े तीन प्रतिशत कुल बूट दो जायेगी। अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वाले भी, जहाँ सम्पादन पड़े किया जायेगा।

11. भाषणके 53 वर्ष को आयु प्राप्त करने के बाद और 58 वर्ष को आयु प्राप्त करने के पूर्व शासन द्वारा अपेक्षा किए जाने भवता स्वेच्छा से मेदानिवृत्त होने को दशा भी, जो शेष धनराशि तथा ब्याज शासन को एक पुस्तक में वा निवृत्ति के दिनांक के पूर्व देय तो जायेगी और शासन न्यायालय इस बात के लिए सज्ज होगा कि वे देय धनराशि को किस प्रकार चाहे समूल करे।

12. भूमि के आहरण के तुरन्त पश्चात भुगतान संबंधी साउवर संख्या एवं दिनांक में पढानेआकार 1111, जो ई. लोन मेन्शन को भेजे तथा उसको प्रति न्यायालय को सूचनाय प्रेषित करें। वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस तक यदि किश्त का आहरण न हो सके तो स्वोक्त धनराशि निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व समर्पित कर दो जाय।

13. इस सम्बन्ध में हुए व्यव बालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के भाग-व्यय को अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "7610- सरकारी कार्य-परिचालन- 2000 के अन्तर्गत- 201- मंत्रालय (निर्माण) अधिन-011- मंत्रालय निर्माण या रूप के लिए- 2000-20 दिनांक/1/1/98" के नाम से करवा जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
निर्देशक

दिनांक: 8-1-99

Handwritten signature

R Kumar
Section Officer (8/1/99)
Administrative (A) Section
High Court Allahabad

*Photo Copy
Attested.*

*अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं-12, मुरादाबाद*